राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8129/2019

1. श्रीमती पिंकी बैरवा पत्नी श्री मुकेश बैरवा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम देवपुरा, पंचायत देवपुरा, ग्राम व पोस्ट अरनिया केदार, जिला टोंक
2. गुलाब चंद बैरवा पुत्र श्री गोपी लाल बैरवा, निवासी 1/203, हाउसिंग बोर्ड, टोंक

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर
2. अधिशासी अभियंता (जेए) सा, जिला परिषद टोंक
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक
4. सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय, जिला परिषद टोंक
5. खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक जिला टोंक

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री राजीव बंधु

उत्तरदाता (ओं) के लिए : श्री केसर सिंह शेखावत के लिए
श्री आदित्य शर्मा

माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

08/01/2025

1. यह याचिका विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोंक, जिला टोंक द्वारा जारी दिनांक 23.08.2018 के नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, ग्राम देवपुरा, पंचायत देवपुरा, जिला टोंक का निर्वाचित सरपंच था और याचिकाकर्ता संख्या 2 सचिव के पद पर नियुक्त था तथा 31.12.2017 को सेवानिवृत्त हो गया था। प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 23.08.2018 को आक्षेपित नोटिस जारी किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एफएफसी योजना के अंतर्गत स्थापित रोड लाइटों में वित्तीय अनियमितता हुई है और याचिकाकर्ताओं ने राशि का गबन किया है। जाँच के लिए गठित समिति ने निष्कर्ष निकाला कि 5,95,846/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया था और यह राशि वसूली योग्य है। जाँच रिपोर्ट के अनुसरण में, आक्षेपित नोटिस जारी किया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न तो सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही माँग संबंधी आदेश पारित किया गया, फिर भी नोटिस जारी कर दिया गया। आगे तर्क दिया गया कि एक ओर, जाँच रिपोर्ट के संबंध में याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण माँगा गया और साथ ही याचिकाकर्ता को देय राशि का 50% 18% ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नोटिस जारी करने से पहले, याचिकाकर्ता को दो पत्र भी भेजे गए थे और जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा राशि का गबन किया गया था।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और दलीलों का अवलोकन किया गया।

6. यह निर्विवाद तथ्य है कि आक्षेपित नोटिस, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किए बिना और माँग सृजित किए बिना जारी किया गया है। फलस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है।

7. प्रतिवादी द्वारा इस विवादित नोटिस को याचिकाकर्ता को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस माना जाएगा। याचिकाकर्ता आज से छह सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल करेगा और उसके बाद, प्रतिवादी कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

(अवनीश झिंगन),जे

चंदन/76

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate